न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

1.निगरानी संख्या— 116/2011—12

श्री मायाराम

—बनाम—

एकापा एसोसिएट द्वारा प्रतिनिधि अर्जुन सिंह एवं अन्य

2.निगरानी संख्या— 118/2011—12

श्री विशालमणी —बनाम— श्री अर्जुन सिंह एवं अन्य

3.निगरानी संख्या— 119/2011—12

श्री हर्षमणी —बनाम— श्री अर्जुन सिंह एवं अन्य

4.निगरानी संख्या— 120/2011—12

श्री महेशानन्द —बनाम— सोमन एसोसिएट एवं अन्य

अन्तर्गत धारा—333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।

उपस्थितिः श्री पी0एस0 जंगपांगी, आई0ए0एस0 सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।
अधिवक्ता उत्तरदाता राज्य सरकार : श्री एल0डी0 थपलियाल, विशेष अधिवक्ता।

बावत
मौजा ईस्ट होप टाउन, परगना पछवादून
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

निर्णय

प्रस्तुत निगरानीयाँ विद्वान सहायक अभिलेख अधिकारी/अपर सिटी मजिस्ट्रेट, देहरादून द्वारा वाद संख्या—36 व अन्य/96—97/विविध एवं मेमो/दस्ती/2006—07 अन्तर्गत धारा—166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 17—01—2009 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

चारों निगरानियाँ एकीकृत रूप से सुनी गई क्योंकि सभी में समान प्रकरण निहित है। सभी निगरानियों में उत्तरदाता संख्या—1 कमशः एकापा एसोसिएट द्वारा प्रतिनिधि अर्जुन सिंह, श्री अर्जुन सिंह पुत्र राम सिंह, श्री अर्जुन सिह एवं सोमन एसोसिएट द्वारा प्रतिनिधि रामानुज अनुपस्थित रहे। उत्तरदाता संख्या—2 सहायक अभिलेख अधिकारी व 3 उत्तराखण्ड सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता श्री एल0डी0 थपलियाल उपस्थित रहे।

निगरानी पत्र के अनुसार वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सहायक अभिलेख अधिकारी/अपर सिटी मजिस्ट्रेट, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—01—2009 का खतौनी फसली वर्ष 1399 से 1404 में इस आशय का इन्द्राज अंकित किया गया कि वाद संख्या—36 व अन्य वर्ष 1996—97 विविध संख्या—मीमो/दस्ती/2006—07 धारा—166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सरकार बनाम मायाराम आदि मौजा ईस्ट होप टाउन, परगना पछवादून, जिला देहरादून माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक

1—12—2005 के अनुपालन में तथा राजस्व परिषद, लखनऊ के आदेश दिनांक 24—11—2000 एवं जिला शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय दिनांक 13—11—2006 के आधार पर मौजा ईस्ट होप टाउन परगना पछवादून के खाता संख्या—2229 खसरा नम्बर—919 कि0 रकबा 0.364 है0 से मायाराम पुत्र ईश्वरी आदि व राज्य सरकार का नाम खारिज होकर एकापा एसोसिएट द्वारा प्रतिनिधि अर्जुन सिंह पुत्र राम सिंह निवासी रायपुर रोड व खाता संख्या—2014 खसरा नम्बर 919 मि0 क्षेत्रफल 0.364 से जहूर पुत्र वहीद आदि व राज्य सरकार का नाम खारिज होकर अर्जुन सिंह पुत्र राम सिंह रावत निवासी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने के आदेश पारित किए जबकि खसरा नम्बर 919 मि0 क्षेत्रफल 0.364 है0 खाता संख्या—2014 से जहूर खां पुत्र वाहीद खां का नाम खतौनी से निरस्त हो चुका था और निगरानीकर्ता विशालमणी पुत्र भोलादत्त का नाम उक्त खाते में दर्ज हो चुका था। इसी प्रकार खाता संख्या—2076 खसरा नम्बर 919 रकबा 0.405 है0 से धनेश्वरी पुत्र विद्यादत्त व राज्य सरकार आदि का नाम खारिज होकर अर्जुन सिंह पुत्र राम सिंह रावत निवासी श्रीनगर पौडी गढ़वाल का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज होने के आदेश पारित किए जबकि वर्ष 1993 से धनेश्वरी देवी पत्नी विद्यादत्त का नाम खतौनी से निरस्त हो चुका था और निगरानीकर्ता हर्षमणी पुत्र स्वर्गीय विद्यादत्त का नाम खाता संख्या—2076 में दर्ज हो चुका था तथा खाता संख्या—2213 खसरा नम्बर 919 मि0 रकबा 0.809 है0 से महेशानन्द पुत्र राधाकृष्ण आदि व राज्य सरकार का नाम खारिज होकर सोमन एसोसिएट द्वारा प्रतिनिधि रामानुज पुत्र तीर्थ सिंह निवासी देहरादून का नाम दर्ज किए जाने के आदेश पारित किए गए। खतौनी फसली 1399—1404 में अंकित इस इन्द्राज दिनांक 17—01—2009 के विरूद्व यह निगरानियाँ निगरानीकर्तागणों ने निम्न आधार पर योजित की हैं:—

निगरानीकर्तागण श्री मायाराम, श्री विशालमणी, श्री हर्षमणी एवं श्री महेशानन्द ग्राम ईस्ट होप टाउन, परगना पछवादून, तहसील विकासनगर खतौनी वर्ष 1399 से 1404 फसली के खाता संख्या—2229 खसरा नम्बर 919 मि0 क्षेत्रफल 0.304 है0, खाता संख्या—2014 खसरा नम्बर 919 मि0 क्षेत्रफल 0.364 है0, खाता संख्या—2076 खसरा नम्बर—919 मि0 क्षेत्रफल 0.405 है0 तथा खाता संख्या—2213 खसरा नम्बर 919 क्षेत्रफल 0.809 है0 के भूमिधर मालिक दर्ज थे। निगरानीकर्तागणों को उक्त भूमि वर्ष 1384 फसली में विधिवत आवंटन की गई थी और शासन की विज्ञप्ति संख्या—68/राजस्व—बी—7—2000—3/1905, दिनांक 14—01—95 के अन्तर्गत निगरानीकर्तागणों को उक्त वर्णित भूमि का संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित किया गया था और दिनांक 31—05—97 को राजस्व अभिलेखों में उसका इन्द्राज किया गया था। निगरानीकर्तागण को कभी कोई सूचना किसी प्रकार की किसी न्यायालय द्वारा प्रेषित नहीं की गई और एक सामूहिक आदेश जिसका इन्द्राज खतौनी में दिनांक 25—06—2003 को दर्ज किया गया उसमे विभिन्न खातों के साथ प्रश्नगत खाते में दर्ज भूमि को भी उत्तराखण्ड सरकार में दर्ज किया गया जिसका कोई आधार विद्यमान नहीं था।

निगरानीकर्तागण ने अपनी निगरानियों में उल्लेख किया है कि दिनांक 17–01–2009 को खतौनी में एक अन्य आदेश संयुक्त रूप से बिना किसी को सूचित किये दर्ज किया गया। निगरानीकर्तागण को दिनांक 18–10–2011 को खतौनी की नकल प्राप्त करने पर उक्त दोनों आदेशों दिनांक 25–06–2003 व 17–01–2009 के बारे में ज्ञान हुआ एवं उनके द्वारा तहसील विकासनगर एवं राजस्व अभिलेखागार में उक्त पत्रावलियों की खोज की गई परन्तु उन्हें कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई। जिस पर निगरानीकर्ताण ने सूचना के अधिकार में जिलाधिकारी, देहरादून से इन पत्रावलियों के बारे में सूचना मांगी गई जिनके सम्बन्ध में निगरानीकर्तागण को कोई सूचना नहीं दी गई। मा0 मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा एक सूचना 15 अक्टूबर, 2011 को दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई है जिससे निगरानीकर्ता को ज्ञान हुआ कि मा0 न्यायालय में निगरानी संख्या–10 से 15 वर्ष 2010–11 गोल्डन फॉरेस्ट प्रा0लि0 बनाम सरकार एक सूचना प्रकाशित हुई है जिसमें उल्लेख किया गया है कि "मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समस्त पक्षकारों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि वह गोल्डन फॉरेस्ट कम्पनी से सम्बन्धित उपरोक्त निगरानियों में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों। इस पर निगरानीकर्तागण ने मा0 न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एक प्रार्थना पत्र दिनांक 19–11–2011 को प्रस्तुत किया और प्रार्थना की गई कि उक्त निगरानियों में निगरानीकर्तागण को पक्ष बनाया जाये और उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाय। मा0 न्यायालय मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 23–11–2011 से निगरानीकर्तागण के प्रार्थना पत्र यह कहते हुए निरस्त कर दिये गये कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 11–04–2011 के आलोक में ही आवंटियों को पक्षकार के रूप में समायोजित करते हुए निगरानियों की सुनवाई एवं निस्तारण किया जाना है। अतः उक्त निगरानियों में सर्व श्री महेशानन्द आदि को पक्षकार के रूप में समयोजित किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः पक्षकार समायोजित किए जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 19–11–2011 निरस्त किये जाते हैं।" जिसके फलस्वरूप निगरानीकर्तागण ने उपरोक्त पृथक–पृथक निगरानियाँ इस न्यायालय में सहायक अभिलेख अधिकारी/अपर सिटी मजिस्ट्रेट, देहरादून के आदेश दिनांक 17–01–2009 के विरूद्व योजित की हैं।

मैंने अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने एवं निगरानी पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि प्रश्नगत खातों में तथाकथित आदेश दिनांक 25–06–2003 व परवाना दिनांक 17–01–2009 से निरस्त कर निगरानी के प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 का नाम दर्ज करना विधि विरूद्व व क्षेत्राधिकार से बाहर था। जिन पत्रावलियों में उक्त आदेश पारित होना बताया गया है वह पत्रावली किसी भी न्यायालय अथवा अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं हैं। निगरानीकर्तागण का नाम राजस्व अभिलेखों से बिना

कोई वैधानिक कार्यवाही अपनाये, बिना सुनवाई का अवसर दिये और बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के विपरीत राजस्व अभिलेखों से काटकर निगरानियों के प्रतिउत्तरदाता संख्या–1 का नाम दर्ज किया गया जो विधि विरूद्व है। जिस वाद पत्रावली संख्या–36 का आदेश में उल्लेख किया गया है उस वाद पत्रावली के आदेश में निगरानीकर्तागण के खसरा नम्बरों का उल्लेख ही नहीं है। अतः प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जायं।

प्रतिउत्तरदाता राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिन खसरा नम्बरों से निगरानीकर्तागण का नाम निरस्त किया गया है उन पर किसी अन्य का नाम दर्ज न होकर राज्य सरकार का नाम दर्ज होना चाहिए था।

निगरानी पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आक्षेपित आदेश सम्बन्धी कोई पत्रावली उस अधिकारी के कार्यालय/न्यायालय में नहीं है जिसके द्वारा उसको पारित किया जाना दर्शाया जा रहा है। निगरानीकर्तागण का कथन है कि उन्होंने इस स्थिति की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त किया। न्यायिक कार्यवाहियों में एक सामान्य सी प्रकिया यह है कि किसी वाद अथवा कार्यवाही की पत्रावली के सम्बन्ध में पृच्छा करने के लिए प्रश्नोत्तरी लगाई जाती है जिससे स्थिति स्पष्ट हो कि किस वाद अथवा कार्यवाही में आदेश विशेश पारित किया गया जिससे कि प्रकरण की वस्तुस्थिति का पता लग सके। इस प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया। खैर जो भी हो, निगरानीकर्तागण का यह स्पष्ट कथन है कि आक्षेपित आदेश के सम्बन्ध में उनको कोई जानकारी नहीं हुई एवं उनके द्वारा आक्षेपित आदेश पारित होने से पूर्व तत्सम्बन्धी न्यायिक एवं अर्द्वन्यायिक कार्यवाही में कोई प्रतिभाग नहीं किया गया है क्योंकि उन्हें इस हेतु अवसर ही नहीं मिला। अन्तर्निहित प्रकरण की उक्त स्थिति के दृष्टिगत इंगित आक्षेपित आदेश एकपक्षीय रूप से पारित हुआ। एकपक्षीय रूप से पारित आदेश के विरूद्व उपचार उसी न्यायालय में उपलब्ध है। इस स्तर पर प्रस्तुत अभिवचनों एवं तर्कों में यह कहीं भी नहीं कहा हुआ है कि क्या कथित एकपक्षीय रूप से पारित आक्षेपित आदेश के विरूद्व सम्बन्धित निगरानीकर्तागण द्वारा उस अधिकारी/प्राधिकारी/न्यायालय के समक्ष वाद/कार्यवाही पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा कथित रूप से आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

तद्नुसार वर्तमान निगरानियाँ अपरिपक्व/अग्राह्य एवं अपोषणीय हैं एवं सभी निगरानीकर्तागणों को अभी भी सम्बन्धित अधिकारी/प्राधिकारी/न्यायालय के समक्ष पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में प्रस्तुत सभी निगरानियाँ अस्वीकृत की जाती हैं। निगरानीकर्तागण सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी/न्यायालय के समक्ष विधिवत पुनर्स्थापन प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र हैं। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में सम्बन्धित राजस्व अधिकारी/प्राधिकारी/न्यायालय से अपेक्षित होगा कि ऐसे पुनर्स्थापन पत्र/पत्रों का विधिक संज्ञान लेकर उनका विधिसम्मत निस्तारण करें। उक्त विधिक कमी (legal lacuna) के दृष्टिगत उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अन्य तर्कों पर कोई मंतव्य व्यक्त करना उपयुक्त नहीं है।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 19–05–2014 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0 जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)।